बिहार-विधान-सभा-वादवृत्त ।

सोमवार तिथि १९ मई, १९५२ ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण। सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि १९ मई, १९५२ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष, श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा, के सभापतित्व में हुआ ।

भारतीय संविधान के प्रतिनिष्ठा का शपथ ग्रहण ।

OATH OF ALLEGIANCE TO THE CONSTITUTION OF INDIA.

The following members took oath:—

(1) Shri Muhammad Tahir—Amour.

(2) Shri Amiya Kumar Ghosh—Daltonganj.

(3) Shri Bhagirathi Singh—Latehar-*cum*-Manatu (Reserved).

(4) Shrimati Janak Kishori Debi—Harlahki.

बोलने से पहले सदस्यों के अपने नाम बतलाने के संबंध में माननीय अध्यक्ष का वक्तव्य ।

STATEMENT OF HON'BLE THE SPEAKER *re*:MEMBERS GIVING THEIR NAMES BEFORE SPEAKING.

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्यगण, मुझे एक बात कहनी है । जब कभी किसी सदस्य को प्रश्न पूछने का या भाषण देने का अवसर मिले तो थोड़े दिनों तक उन्हें अपना नाम माइक पर बता देना चाहिए जिसमें हमारे रिपोर्टरों को उनके नाम जानने में दिक्कत न हो ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर ।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

भभुआ सबडिवीजन में बेकारी की समस्या ।

१ । श्री गुप्तनाथ सिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या सरकार को पता है कि भभुआ सबडिवीजन के अधौरा चैनपुर, चादे थाना और भभुआ थाने के कुछ अंचलों में कई साल के सूखे से जनता भुखमरी की अवस्था में पहुँच गयी है और बेकारी के कारण हाहाकार मचा हुआ है ;

(ख) क्या इस ओर सरकार का ध्यान प्रश्नों एवं आवेदन-पत्र द्वारा खींचा गया था ;

(ग) क्या यह बात सही है कि सरकार की ओर से उक्त इलाकों में रिलीफ के लिए आदेश दिया गया था ;

(घ) यदि खंड (क), (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार ने कितने रुपयों की मंजूरी की है और उन रुपयों के उचित उपयोग के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

भभुआ सबडिवीजन में रिलीफ कमिटी का निर्माण।

२। श्री गुप्तनाथ सिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि भभुआ के सबडिवीजनल आफिसर ने ... सबडिवीजनल रिलीफ कमिटी बनाई है;

(ख) क्या यह बात सही है कि उक्त कमिटी में विगत चुनाव में हारे हुए कांग्रेस विरोधी चार उम्मीदवार सदस्य बनाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि ये हारे हुए कांग्रेस विरोधी उम्मीदवारों के कारण रिलीफ कार्य में अड़चन पहुँच रही है और वे उन गावों में काम नहीं होने देते जिनके निवासियों ने उन्हें मत नहीं दिए थे;

(घ) यदि खंड (क), ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार की नीति है कि विरोधी तत्वों को रखकर जनकार्य में बाधा पहुँचाई जाय और क्या सरकार ने उक्त कमिटी बनाने का आदेश दिया है?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—(क) माननीय सदस्य के द्वारा सूचना मिली है कि भभुआ में एक ऐसी कमिटी बनाई गयी है, मगर कलक्टर के यहां से अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(ख) और (ग) गवर्नमेंट को इस बात की सूचना नहीं है कि स्थानीय आफसरों से जांच करायी जा रही है कि जो कमिटी बनी है उसका कैरेक्टर रिप्रेजेन्टेटिव है या नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता है।

तारांकित प्रश्नोत्तर

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

ENQUIRY INTO A CASE OF BLACK MARKETING.

*1. Shri **HARIVANS SAHAY**: Will the Hon'ble Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that Mr. T. D. Mahta, Deputy Collector, was posted at Motihari sometime in 1947 as a Sub-Deputy Collector;

(*b*) whether it is a fact that he has continued at Motihari Sadr upto this time;

(*c*) whether it is a fact that he was appointed as D. S. O. sometime in October, 1949 and has continued to act as such up till now;

(*d*) whether it is a fact that as D. S. O. he went to Sangampur to make an enquiry into a case of black-marketing against a fair price dealer of grains and as a result of the attitude taken

by him a clash took place between the black-marketeers and the Gram Panchayat and a criminal case started ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—(क) उत्तर हाँ है।

(ख) उत्तर हाँ है।

(ग) उत्तर हाँ है। गवर्नमेंट ने श्री टी० डी० महथा को डालटेनगंज का सदर एस० डी० ओ० बनाकर भेज दिया है और चम्पारण के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा गया है कि वे उन्हें जल्द रिलीभ कर दें।

(घ) चम्पारण के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट भेजी है कि जब श्री महथा ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत की जाँच कर रहे थे उस वक्त दो दलों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। श्री महथा ने इस संघर्ष को रोकने की कोशिश की और अगर वे वहां नहीं रहते तो संघर्ष हो जाता। इस सम्बन्ध में एक क्रीमनल केस दायर किया गया था जिसे आगे चलकर कमप्लेनेन्ट ने वापस कर लिया।

श्री हरिवंश सहाय—एराइजिंग आउट ऑफ (डी) जो संघर्ष हुआ है उसके मुताल्लिक उन्होंने कुछ रिपोर्ट भेजी थी कलक्टर के पास ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—जब मुकदमा चला तब उन्होंने जो बयान दिया था वह सरकार के पास मौजूद है।

श्री हरिवंश सहाय—क्या उस बयान में ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत थी ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—वह डिपोजिशन तो पब्लिक डॉक्युमेंट है। आप उसकी कापी ले लें और देखें कि ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत थी या नहीं।

गोपालगंज के किसानों को गल्ले की नोटिस।

*३। श्री नन्दकिशोर नारायण लाल—क्या माननीय मंत्री, पूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज सबडिविजन में इस साल रब्बी की फसल बिल्कुल खराब हुई है और बड़े-बड़े किसानों को भी दो माह से अधिक खर्च तथा बीज के लिये रब्बी की पैदावार नहीं है;

(ख) क्या यह बात सही है कि सरकार ने गेहूँ वसूली के लिये किसानों को बिना जांचे बूझे नोटिस दे दी है जिससे लोगों में बहुत क्षोभ है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि नोटिस मिलने के बाद उन किसानों को कचहरियों के दौरान में बहुत काफी खर्च करने पड़ते हैं और चौथाई गल्ला बहुत कम में खरीद कर देना पड़ता है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार रब्बी के फसल के मारे जाने के कारण को मद्दे नजर रखते हुए गेहूँ-वसूली की नोटिस वापस कर लेने का विचार करती है और उस आज्ञा में संशोधन करना चाहती है कि बिना चौथाई जमा किये ही उनकी हालत की जांच हो और उनकी उज्रदारी सुन ली जाय ?

माननीय श्री हरिनाथ मिश्र—(क) उत्तर नकारात्मक है।

(ख) उत्तर नकारात्मक है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या २ स्थगित कर दिया गया।